2019/00039

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट | बनाम | अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

श्री मनीष कुमार पुत्र श्री सुन्दर लाल सैनी
जाति सैनी
निवासी पोस्ट ऑफिस रोड गांधीनगर, आबूरोड
जिला सिरोही

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
जिला रसद अधिकारी
सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 2 वर्ष 2019

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
14.02.2019	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 2.11.2018 एवं 1.1.2019 को दो प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अप्रैल 2005 से सितम्बर 2006 तक कृषि क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. आबूरोड द्वारा आपके कार्यालय को भेजे गये सभी प्रकार के गेंहू , प्रतिमाह समिति द्वारा भेजे गये एम.पी.आर. रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपि एवं अपैल 2005 से सितम्बर 2006 तक कृषि कय विकय सहकारी समिति लि. आबूरोड में सभी प्रकार के मदों के गेंहू का कितनी बार भौतिक सत्यापन किया गया है उन सभी भौतिक सत्यापनों की सत्यापित प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 2.11.2018 एवं 1.1.2019 को दो प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अप्रैल 2005 से सितम्बर 2006 तक कृषि कय विकय सहकारी समिति लि. आबूरोड द्वारा आपके कार्यालय को भेजे गये सभी प्रकार के गेंहू , प्रतिमाह समिति द्वारा भेजे गये एम.पी.आर. रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपि एवं अपैल 2005 से सितम्बर 2006 तक कृषि कय विकय सहकारी समिति लि. आबूरोड में सभी प्रकार के मदों के गेंहू का कितनी बार भौतिक सत्यापन किया गया है उन सभी भौतिक सत्यापनों की सत्यापित प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित अपीलांट को चाही गई समस्त सूचना उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नही कराई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट को चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अनुपमा जोरवाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned by CamScanner